



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243198  
CG-DL-E-25012023-243198

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/माघ 4, 1944

No. 47]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/MAGHA 4, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 48(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ), (घ क) (घ ख) और (घ ग) तथा धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में और अधिक संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदा एद्वतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जैसा कि इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए उक्त धारा के तहत अपेक्षित है और एद्वतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस पर इन नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं;

उक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अनुभाग अधिकारी (पी एंड एस-1 अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कक्ष संख्या 514/2-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं या ca1.moc@nic.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

**मसौदा नियम**

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1. कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में, नियम 5 के उप-नियम (5) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) में –

(1) “बैंक गारंटी के रूप में” शब्दों को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. 11022/01/2015-सीए-III]

एम. नागराजू, अपर सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में जीएसआर 877(ई), दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार जीएसआर 300(ई) दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF COAL****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2023

**G.S.R. 48(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Coal Blocks Allocation Rules, 2017 which the Central Government proposes to make, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 13 and clauses (d), (da), (db) and (dc) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), is hereby published as required under the said section for informing all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Section Officer (P&S-I section), Ministry of Coal, Government of India, Room No. 514/2-D, Shastri Bhawan, New Delhi 110001 or emailed at ca1.moc@nic.in.

**DRAFT RULES**

**Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coal Blocks Allocation (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Coal Blocks Allocation Rules, 2017, in sub-clause (iii) of clause (c) of sub-rule (5) of rule 5,—

(i) the words “in the form of bank guarantee” shall be omitted.

[F. No. 11022/01/2015-CA-III]

M. NAGARAJU, Addl. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 877(E), dated the 13<sup>th</sup> July, 2017 and lastly amended *vide* number G.S.R 300(E) dated the 18<sup>th</sup> May, 2020.